

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 86 / 2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच (प्रशासक)/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही
 2. तगाराम पुत्र श्री नवाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-जावाल, तह0 व जिला-सिरोही
- "निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

- (1) श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
- (2) अधिवक्ता श्री चेतन रावल, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

—: निर्णय:—

दिनांक 27 मार्च, 2026

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 24-6-2020 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से जबाव पेश किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये।
- (3) प्रकरण में दिनांक 25-3-2026 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री मंछाराम, विकास अधिकारी, पं0स0, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 139(48)/पट्टा जांच/सिरोही/विधी/पं.स./2022/807 दिनांक 24-6-2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559-65 दिनांक 23-07-2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 24-6-2020 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 539 से जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी आवेदन प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक हैं, वहां उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/- रुपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23 (क) में पट्टा जारी किया जा सकता है। इस नियम के अर्न्तगत ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



पत्रावली संख्या 89 दिनांक 05-03-2020 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया हुआ है जिस पर पूर्ण विवरण दर्ज नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब्जे संबंधी एवं भूमि विक्रय के संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है व मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु इस पट्टा विलेख को जारी करने से पूर्व इस नियम की पूर्ण पालना नहीं की गई है। उक्त जारी पट्टा विलेख में पत्रावली में आवेदन पत्र पर आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट अभिमत अंकित नहीं किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। नजरी नक्शों पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान सन्निर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं न ही ऐसे कोई प्रमाण, पत्रावली पर मौजूद है। जांच रिपोर्ट अनुसार आज्ञाओं की सूची पर सरपंच के हस्ताक्षरों का अभाव, वार्डपंचों की गठित कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर का अभाव, नक्शा फार्म पर प्रार्थी एवं सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने की पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 24-6-2020 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने घरों का विनियमितकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक हैं, वहाँ उन्हें 31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान सन्निर्मित पुराने घरों के लिए 200/- रुपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23(क) में पट्टा जारी किया जा सकता है। इस नियम के तहत ग्राम पंचायत, जावाल ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवेदन पर नियमानुसार पत्रावली दायर कर विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया है एवं भूमि का विवरण व दस्तावेज आवेदन के साथ पेश किये गये थे तथा पट्टा शुल्क का भुगतान किया था। ग्राम पंचायत, जावाल ने बाद जांच व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नजरी नक्शा तैयार कर, वार्ड पंचों से भूमि का मौका निरीक्षण करवाकर व आपत्ति नोटिस जारी करके पंचायत बैठक में निर्णय

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



पारित करके अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवासीय मकान की भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया है। विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करने व पंचायत रिकॉर्ड के समुचित रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत जावाल की है न कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की। प्रार्थी द्वारा अपने पुराने आवासीय गृह का पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा यदि विधिक प्रक्रिया का पालन करने में कोई त्रुटि की गई है तो इसके लिये अप्रार्थी संख्या 2 (दो) दोषी नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का उक्त भूखण्ड पर पुराना मकान बना हुआ है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) गत कई वर्षों से अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहा है व मकान के स्वामित्व का भी कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 24-6-2020 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के कथनों व प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया हुआ है जिस पर पूर्ण विवरण दर्ज नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कब्जे संबंधी एवं भूमि विक्रय के संबंध में कोई स्पष्ट अभिशंषा अंकित नहीं की है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पूर्ण रूप से पालना नहीं हुई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-भीतर

.....पेज चार पर

श्री. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु इस पट्टा विलेख को जारी करने के संबंध में आपत्ति इशितहार किस जगह पर चस्पा किया गया है उसका अंकन आपत्ति इशितहार में अंकित तामिली रिपोर्ट में नहीं है। उक्त जारी पट्टा विलेख में पत्रावली में आवेदन पत्र पर आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नहीं की गई है। नजरी नक्शों पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं न ही ऐसे कोई प्रमाण, ग्राम पंचायत की मिसल पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने की पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण है एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 24-6-2020 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 15-7-2020 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(Signature)
(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही